

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) के तहत स्थानान्तरण रात्र 2024-25 हेतु गठित विभागाध्यक्ष स्तरीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के क्रम में श्रीगती लक्ष्मी रावत प्रदर्शक (रेशम) राजकीय रेशम फार्म श्रीनगर- पौडी गढवाल का स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण जनपद-देहरादून में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष किया जाता है। श्रीमती लक्ष्मी रावत को नियमानुसार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, उनकी सेवाओं की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

(प्रदीप कुमार)
निदेशक (रेशम)


रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड प्रेमनगर-देहरादून।

दिनांक 29 जुलाई 2024

पत्रांक 519-C /स्था0- स्थानान्तरण/ 2024-25

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित कार्मिक
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी श्रीनगर- पौडी गढवाल।
3. मुख्य कोषाधिकारी साईबर ट्रेजरी 23 लक्ष्मीरोड देहरादून।
4. संयुक्त निदेशक रेशम निदेशालय प्रेमनगर-देहरादून।
5. उप निदेशक (रेशम) श्रीनगर- पौडी गढवाल को इस आशय/निर्देश के साथ कि वे एक्ट की धारा 22 (1) के तहत आदेश जारी होने के दिनांक/ एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर नव तैनाती स्थल हेतु कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
6. सहायक निदेशक (रेशम) जनपद-देहरादून को इस आशय/निर्देश के साथ कि कृपया सम्बन्धित कार्मिक की विभागीय कार्य की आवश्यकतानुसार तैनाती अपने स्तर से करना सुनिश्चित करे।
7. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड सरकार को मा0 कृषि मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
9. स्थानान्तरण पत्रावली हेतु।


(प्रदीप कुमार)
निदेशक (रेशम)

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 (संख्या-01 वर्ष 2018) के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु विभागाध्यक्ष स्तरीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्मिकों को उनके नामों के सम्मुख अंकित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है। उनकी सेवाओं की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	स्थानान्तरण औचित्य
1	श्री रोमिल पाण्डे	निरीक्षक (रेशम)	कार्यालय- उप निदेशक (रेशम) हल्द्वानी-नैनीताल	रेशम निदेशालय प्रेमनगर-देहरादून	जनहित में
2	श्री शंशाक कुकरेती	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय- सहायक निदेशक (रेशम) गोपेश्वर-चमोली	कार्यालय- सहायक निदेशक (रेशम) पथरी-हरिद्वार	स्थानान्तरण एक्ट 2018 की धारा 10 (क) के तहत एवं रिक्त पद के सापेक्ष

- सम्बन्धित कार्मिकों को एक्ट की धारा 22(2) के तहत नव तैनाती के स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्ण किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- सम्बन्धित कार्मिकों को प्रत्येक दशा में आदेश के निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरुद्ध एक्ट की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- सम्बन्धित कार्मिकों के नियन्त्रक अधिकारियों एक्ट की धारा 22 (1) के तहत आदेश जारी होने के दिनांक/ एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर नव तैनाती स्थल हेतु कार्मिकों को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे, यदि किसी अधिकारी द्वारा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

(प्रदीप कुमार)
निदेशक (रेशम)

रेशम निदेशालय उत्तराखण्ड प्रेमनगर - देहरादून।

पत्रांक-485-C /स्था०-स्थाना०/2024-25

दिनांक 03 जून 2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सम्बन्धित कर्मचारी।
- मुख्य कोषाधिकारी साईबर ट्रेजरी 23 लक्ष्मी रोड देहरादून।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी हल्द्वानी-नैनीताल/गोपेश्वर-चमोली।
- संयुक्त निदेशक रेशम निदेशालय प्रेमनगर देहरादून।
- उपनिदेशक (रेशम) श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल/हल्द्वानी-नैनीताल।
- सहायक निदेशक (रेशम) गोपेश्वर-चमोली को इस आशय से प्रेषित की यदि उनका कार्यालय विधानसभा क्षेत्र ब्रदीनाथ के अन्तर्गत आता है वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदर्श चुनाव आचार संहिता की समाप्ति के उपरान्त ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें साथ ही सम्बन्धित कार्मिक की कार्यमुक्ति की सूचना तत्काल निदेशालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- सहायक निदेशक (रेशम) पथरी-हरिद्वार।
- अपर सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- स्थानान्तरण पत्रावली हेतु।

(प्रदीप कुमार)
निदेशक (रेशम)